


र व
म की
जारी

श्री..... बनाम श्री.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
९/१०/२४	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09, नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बन्धित मूल वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 17/23 को दिनांक 06.06.2024 को अदालत द्वारा प्रार्थी/वादीया की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने की वांछना लेकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र पर गत सुनवाई को वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस सुनी गई।</p> <p>बहस के दौराने वादीया के नियुक्त विद्वान अभिभाषक द्वारा स्वयं के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 06.06.2024 को पंजीबद्ध मूल राजस्व वाद संख्या 17/2023 में पैरवी के वक्त अदालत में उपस्थित नहीं हो सका, क्यों कि भीषण गर्मी के चलते मुझ अधिवक्ता की तबीयत बिगड गई थी, और वादीया स्वयं को मुझ अधिवक्ता ने पैशी पर बुलाया नहीं था।</p> <p>न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष के उपस्थित नहीं हो पाने का कारण मजबूरी युक्त रहा है। वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एवं आवश्यक है अन्यथा वादीया को अपूर्तणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः वादीया पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र संख्या 17/2023 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।</p> <p>अप्रार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने वादीया पक्ष द्वारा कथित तर्कों/दलीलों का खण्डन करते हुए, निवेदन किया कि वादीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा व अपूर्ण है। वादीया के अधिवक्ता द्वारा अस्वस्थ होने कथन किया गया है लेकिन अधिवक्ता द्वारा प्रमाण स्वरूप चिकित्सा प्रमाणपत्र हमराह पेश नहीं किया गया है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके। प्रार्थी/श्री जगदीश चन्द्र दाधीच निर्णितशुदा मूल राजस्व वाद में बतौर अधिवक्ता नियुक्त थे, उस वादपत्र को अदालत द्वारा खारिज कर देने से प्लीडर की नियुक्ति भी उसी वक्त पर्यवसित/समाप्त हो चुकी थी। जब यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र का प्रस्तुत किया जाना था, उस दशा में वादीया स्वयं के भी हस्ताक्षर प्रार्थनापत्र में अपेक्षित है जो कि नदारद है। प्रार्थी/श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रार्थनापत्र का प्रस्तुत किया जाना,</p>	


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगड (राज.)


प्रार्थी/अधिवक्ता के अधिकारों में निहित नहीं है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा व अपूर्ण है। अतः प्रार्थनापत्र को सच्य अस्वीकार फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों के प्रस्तुत तर्कों पर चिंतन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र/जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

राजस्व मूल वाद संख्या 17/23 को दिनांक 08.06.2024 को अदालत द्वारा प्रार्थी/वादीया की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिराको पुनः नम्बर पर लिये जाने की वांछना लेकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि मूल राजस्व वाद में नियुक्त अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच द्वारा पेश किया गया है। जबकि प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत किए जाने में सूचित-सहमति स्वरूप वादीया स्वयं के भी हस्ताक्षर प्रार्थनापत्र में कराये जाने कानूनन आवश्यक है। दूसरी और वादीया के अधिवक्ता द्वारा अस्वस्थ होने कथन किया गया है लेकिन क्या अधिवक्ता द्वारा प्रमाण में चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत हमराह पेश किया गया है जिससे उनके इस तथ्य की वास्तविकता प्रमाणित हो सके ? नहीं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के दिये अस्वस्थ वाले तर्क में संदेह का आभास होता है एवं हेतुक के तौर पर अधिवक्ता वादीया द्वारा अवगत कराये गये कारण वाजिब, माकूल एवं मजबूरी युक्त नहीं बल्कि काल्पनिक और भ्रामक प्रतीत होते है। प्रार्थनापत्र पर सूचित-सहमति स्वरूप वादीया स्वयं के हस्ताक्षर नहीं कराया जाना सवाल उत्पन्न करता है।

इस प्रार्थनापत्र के अवलोकन से एक बात तो पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र प्रारूपण व प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अधूरा और दोषयुक्त पेश किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र बिना कोई ठोस हेतुक के, प्रस्तुत किया जिसको सिद्ध करने में प्रार्थी निश्चित रूप से असफल हुए है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।


उपखण्ड अधिकारी
झारखण्ड (राज.)